राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर

ब्लॉक–5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

E-mail : smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांकः– रास्कूशिप/जय/AS&FE/ /CRC Grant दिशा–निर्देश/2026–27/7099 दिनांकः– 23/07/2026

संकुल सन्दर्भ केन्द्र ग्रान्ट (CRC Grant) दिशा निर्देश 2026–27

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2026–27 में संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) के कार्यालय कार्यों के संचालन हेतु संकुल सन्दर्भ केन्द्र ग्रान्ट (CRC Grant) का प्रावधान किया गया है। सीआरसी अपने अधीनस्थ विद्यालयों में शैक्षिक व सह–शैक्षिक, भौतिक गतिविधियों के संचालन एवं विद्यालय में नामांकन वृद्धि के प्रयास एवं ठहराव सुनिश्चित करने जैसे कार्यों की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित कर नियमित रूप से मॉनीटरिंग करेंगे। समग्र शिक्षा में गतिविधि हेतु प्रावधित बजट का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है –

कन्टेजेन्सी बजट रूपयों में	मीटिंग एवं टीए बजट रूपयों में	कुल बजट रूपयों में
10,000/-	10,000/-	20,000/-

समग्र शिक्षा अन्तर्गत **सत्र 2026–27 में 11305** सीआरसी के लिये प्रावधित बजट राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(A) सीआरसी ग्रान्ट के उपयोग (व्यय) हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्न प्रकार हैं –

1. **कन्टेन्जेन्सी ग्रान्ट** से समग्र शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटो कॉपी, दूरभाष, शाला दर्पण फीड़िंग, इन्टरनेट पोर्टल, आरटीई पोर्टल, शाला सिद्धि तथा छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च इत्यादि का व्यय शामिल है। इन व्ययों का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान की रोकड़ बही में इन्द्राज किया जायेगा तथा सामग्री क्रय करने पर स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जावेगी।
2. **मीटिंग, टी.ए ग्रान्टस** द्वारा विभिन्न शैक्षिक नवाचारों पर चर्चा करने, टीएलएम निर्माण कार्यशाला आयोजित करने, परिषद द्वारा संचालित गतिविधियों की क्रियान्विति हेतु योजना बनाने, समीक्षा करने एवं सूचना प्राप्त करने के लिये सीआरसी विद्यालय पर आयोजित की जाने वाली बैठक में उपस्थित होने वाले समस्त शैक्षिक कार्मिकों को अल्पाहार प्रदान किया जायेगा व अधीनस्थ विद्यालयों के शैक्षिक कार्मिकों को राजकीय नियमानुसार टी.ए. दिया जायेगा।

(B) मॉनीटरिंग –

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी; संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान राशि (CRC Grant) एवं दिशा निर्देश 2026–27 समस्त सीआरसी कार्यालयों को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग योजनाबद्ध रूप से करें।
2. जिला एवं ब्लॉक अधिकारियों द्वारा राशि हस्तान्तरण एवं राशि उपयोग की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जायेगी।

3. राशि उपयोग की सुनिश्चितता निम्नलिखित चरणबद्ध समय सीमा में किया जाना है –

जुलाई से सितम्बर	**अक्टूबर से दिसम्बर**	**जनवरी से 15 फरवरी तक**
40%	30%	30%

4. बजट प्राप्त होने पर उक्त सारणी के अनुसार समय सीमा में राशि का उपयोग किया जाए। चरणबद्ध रूप से समय सीमा में राशि का उपयोग नहीं किए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

(C) राशि उपयोग हेतु लेखा सम्बन्धी सामान्य निर्देश –

वित्तीय वर्ष 2024–25 के महालेखाकार (लेखा परीक्षा) दल द्वारा SNA निधियों के संबंध में संबंधित Implementing Agencies (IAs) द्वारा राशि को अपने बैंक खातों में अनियमित रूप से पार्क किए जाने संबंधी आक्षेप के दृष्टिगत, भारत सरकार द्वारा जारी SNA Guidelines एवं वित्तीय नियमों के अनुरूप सभी संबंधित कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें –

1. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये।
2. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये।
3. राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
4. क्रय की जाने वाली सामग्री में "राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013" की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।
5. SNA खाते से केवल वास्तविक आवश्यकता (Actual Requirement) के अनुसार ही राशि हस्तांतरित की जाए।
6. SNA खाते से प्राप्त राशि को संबंधित संस्था के बैंक खाते में अनावश्यक रूप से पार्क (Parking of Funds) नहीं किया जाएगा तथा राशि का उपयोग यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाएगा।
7. यदि किसी कारणवश व्यय उपरांत राशि शेष रहती है, तो उसे उसी वित्तीय वर्ष के भीतर अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि में अनिवार्य रूप से SNA खाते में वापस जमा कराया जाएगा।
8. SNA निधियों का उपयोग केवल स्वीकृत मदों एवं अनुमोदित गतिविधियों पर ही किया जाएगा। किसी अन्य उद्देश्य के लिए राशि का उपयोग नहीं किया जाएगा।
9. SNA से संबंधित प्रत्येक वित्तीय लेन–देन का समुचित लेखा–जोखा एवं अभिलेख संधारित किए जाएंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे।
10. SNA निधियों का उपयोग भारत सरकार द्वारा जारी SNA Guidelines, वित्तीय प्रबंधन नियमों (Financial Management Rules) तथा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाएगा।
11. संबंधित जिला एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ सभी Implementing Agencies द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाए तथा किसी भी स्तर पर निधियों की अनियमित पार्किंग न हो।
12. किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
13. परिषद कार्यालय से एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त जिला कार्यालय तीन दिवस में ब्लॉक कार्यालय को राशि आहरण की स्वीकृति जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

14. सीआरसी ग्रान्ट्स की राशि अति0 जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। तत्पश्चात सीबीईओ द्वारा प्रत्येक पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) एवं शहरी यूसीईईओ को प्रावधानानुसार राशि एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति दी जायेगी।
15. परिषद कार्यालय से राशि प्राप्त होने के पश्चात जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा राशि आहरण प्रदान करने की कार्यवाही को प्राथमिकता से पूरा किया जायेगा।
16. सीबीईओ कार्यालय प्रपत्र–1 में राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रपत्र–2 में जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित करेंगे एवं जिला कार्यालय द्वारा प्रपत्र–3 में परिषद् मुख्यालय को व्यय की सूचना भिजवायेंगे।
17. जिला/ब्लॉक/संकुल कार्यालय द्वारा संलग्न प्रपत्र में राशि उपयोग की सूचना निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करेंगे।

विशेष – परिषद कार्यालय से एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त तीन दिवस में जिला कार्यालय चरणबद्ध रूप से ब्लॉक/पीईईओ, यूसीईईओ को राशि आहरण की स्वीकृति जारी करवाना सुनिश्चित करें।

प्रबन्ध पोर्टल एवम् एस.एन.ए. की व्यय राशियों में किसी प्रकार का अन्तर स्वीकार्य नहीं होगा। अन्यथा सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय कर उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

प्रपत्र –1 A-1

ब्लॉक .... **जिला ....**

संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) का नाम ....

संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) अनुदान उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2026–27 में प्राप्त संकुल सन्दर्भ केन्द्र (CRC) राशि रू. .... का उपयोग एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा कर लिया गया है। उपयोग की गई राशि........................ है।

क.सं.	माह का नाम	आवंटित राशि		खर्च की गई राशि	
		कन्टेन्जेन्सी ग्रांट	मीटिंग टी.ए.	कन्टेन्जेन्सी ग्रांट	मीटिंग टी.ए.

हस्ताक्षर
प्रभारी सीआरसी

प्रपत्र –2 A-2

कार्यालय ब्लॉक .... जिला ....

ब्लॉक स्तरीय संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) अनुदान उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि CRC .... को सत्र 2026–27 में कन्टेन्जेन्सी, मीटिंग टी.ए., टीएलएम, मोबिलिटी सपोर्ट हेतु प्राप्त राशि रू. .... का उपयोग परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार किया जाकर कैश बुक के पृष्ठ संख्या .... पर इन्द्राज कर लिया है।

क्र.सं.	माह का नाम	आवंटित राशि		खर्च की गई राशि	
		कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.

हस्ताक्षर
बीआरसी प्रभारी/सीबीईओ
....

प्रपत्र –3 A-3

जिला ....

जिला स्तरीय संकुल सन्दर्भ केन्द्र (CRC) उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2026–27 में **संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान** मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से जिले की कुल .... सीआरसी को .... राशि जारी की गई एवं परिषद् के दिशा निर्देशानुसार व्यय की जाकर .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा SNA से राशि आहरण एवं उपयोग की प्रविष्टि एम.पी.आर. एवं प्रबन्ध पोर्टल पर की गयी है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार होंगे।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक/ प्रभारी

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक

परिशिष्ट– 1

CRCs Grant वित्तीय वर्ष 2026–27

Sr.No.	District	No. CRC	Unit cost in lakh	Contingency Grant	Meeting, TA	Total Budget in lakh
1	AJMER	247	0.05	12.350	12.350	24.700
2	ALWAR	295	0.05	14.750	14.750	29.500
3	BALOTARA	257	0.05	12.850	12.850	25.700
4	BANSWARA	413	0.05	20.650	20.650	41.300
5	BARAN	231	0.05	11.550	11.550	23.100
6	BARMER	416	0.05	20.800	20.800	41.600
7	BEAWAR	180	0.05	9.000	9.000	18.000
8	BHARATPUR	217	0.05	10.850	10.850	21.700
9	BHILWARA	388	0.05	19.400	19.400	38.800
10	BIKANER	371	0.05	18.550	18.550	37.100
11	BUNDI	185	0.05	9.250	9.250	18.500
12	CHITTAURGARH	299	0.05	14.950	14.950	29.900
13	CHURU	309	0.05	15.450	15.450	30.900
14	DAUSA	283	0.05	14.150	14.150	28.300
15	DEEG	179	0.05	8.950	8.950	17.900
16	DHAULPUR	187	0.05	9.350	9.350	18.700
17	DIDWANA-KUCHAMAN	231	0.05	11.550	11.550	23.100
18	DUNGARPUR	349	0.05	17.450	17.450	34.900
19	GANGANAGAR	349	0.05	17.450	17.450	34.900
20	HANUMANGARH	269	0.05	13.450	13.450	26.900
21	JAIPUR	548	0.05	27.400	27.400	54.800
22	JAISALMER	194	0.05	9.700	9.700	19.400
23	JALOR	304	0.05	15.200	15.200	30.400
24	JHALAWAR	252	0.05	12.600	12.600	25.200
25	JHUNJHUNUN	340	0.05	17.000	17.000	34.000
26	JODHPUR	426	0.05	21.300	21.300	42.600
27	KARAULI	239	0.05	11.950	11.950	23.900
28	KHAIRTHAL-TIJARA	153	0.05	7.650	7.650	15.300
29	KOTA	168	0.05	8.400	8.400	16.800
30	KOTPUTLI-BEHROR	211	0.05	10.550	10.550	21.100
31	NAGAUR	260	0.05	13.000	13.000	26.000
32	PALI	267	0.05	13.350	13.350	26.700
33	PHALODI	208	0.05	10.400	10.400	20.800
34	PRATAPGARH	229	0.05	11.450	11.450	22.900
35	RAJSAMAND	204	0.05	10.200	10.200	20.400
36	S.MADHOPUR	222	0.05	11.100	11.100	22.200
37	SALUMBAR	146	0.05	7.300	7.300	14.600
38	SIKAR	378	0.05	18.900	18.900	37.800
39	SIROHI	168	0.05	8.400	8.400	16.800
40	TONK	236	0.05	11.800	11.800	23.600
41	UDAIPUR	497	0.05	24.850	24.850	49.700
	TOTAL	11305		565.250	565.250	1130.500

(डॉ0 रश्मि शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक एवम् आयुक्त
23/7/26

क्रमांकः रास्कूशिप/जय/AS&FE/CRC Grant/2026–27/7099 दिनांकः 23/07/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
2- निजी सचिव, आयुक्त एवम् राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
3- निजी सहायक, निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राज0, बीकानेर।
4- निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (I) एवं (II), समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
5- निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद कार्यालय, जयपुर।
6- समस्त उपायुक्त, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद कार्यालय, जयपुर।
7- समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद, जयपुर।
8- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
9- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
10- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
11- समस्त पीईईओ एवं शहरी यूसीईईओ (सीआरसी)।
12- रक्षित प्रति।